रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-121 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 4, 1990/आश्विन 12, 1912
No. 430] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 4, 1990/ASHVINA 12, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली दिनांक 4 अक्तूबर, 1990

आदेश

मा.का.नि. 821 (अ):—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के अपर सचिव श्री एम.एम. भटनागर को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से सशक्त करती है।

[फा.सं. 820/2/90-नि.अ.व्या. स्वा.]
ए.के. राय, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi the 4th October, 1990

ORDER

G.S.R. 821(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 10 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), the Central Government hereby specially empowers Shri M. M. Bhatnagar, Additional Secretary to the Government of India, for the purpose of the said Section.

[F. No. 820|2|90-PITNDPS)]

A. K. ROY, Under Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990